भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1857
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाएं

1857. श्री ए.राजा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों तक तमिल सहित क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायालय की कार्यवाहियों के संचालन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सभी न्यायालयों में याचिकाओं, हलफनामों और प्रतिवादों तथा प्रत्युत्तरों को ऑनलाइन दाखिल करने की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वकीलों और गवाहों को तमिलनाडु सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में शारीरिक रूप से या वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का विकल्प दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का लोगों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायालय में निर्णय देने का कोई प्रस्ताव है और आम आदमी के लाभ के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय प्राप्त करने में मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जहां तक उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1)(क) में उपबंध किया है कि इन न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी ।हालांकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(2) में यह उपबंध है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।इसके अतिरिक्त, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में उपबंध किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है, वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय में यह निर्धारित है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग को संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अधीन वर्ष 1950 में प्राधिकृत किया गया था ।यथा उपरोक्त उल्लेखित मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय के पश्चात्, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के

परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था ।

जहां तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के उपबंध, इन न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध राज्यों के संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित करते हैं ।अत:, निचले न्यायालयों में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का निर्णय सामान्यतः उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार एक दूसरे के परामर्श से करते हैं और तदनुसार, इसे अपने-अपने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लागू करते हैं ।

(ख) और (ग) : ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अधीन, ई-फाइलिंग को कार्यात्मक बनाया गया है और यह भारत भर के सभी उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उपलब्ध है ।उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण **3.0**) प्रारंभ की गई है ।

उच्च न्यायालयों में वकीलों और साक्षियों की उपस्थिति का तरीका, चाहे वह भौतिक हो या आभासी, संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में एक प्रशासनिक विषय है ।तथापि, सर्वेश माथुर बनाम महारजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (डब्ल्यूपी (सीआरएल) संख्या 351/2023) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश तारीख 06.10.2023 में निर्देश दिया कि इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह की समाप्ति के पश्चात, कोई भी उच्च न्यायालय बार के किसी भी सदस्य या ऐसी सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक वादी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं या हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई तक पहुँच से इंकार नहीं करेगा ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यायालयों का मुख्य आधार बनकर उभरी, क्योंकि सामूहिक तरीके से भौतिक सुनवाई और सामान्य न्यायालय संबंधी कार्यवाहियां संभव नहीं थी ।कोविड लॉकडाउन आरंभ होने के बाद से, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 2,48,21,789 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने तारीख 31.10.2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 90,21,629 मामलों (कुल 3.38 करोड़) की सुनवाई की ।लॉकडाउन अवधि के आरंभ के बाद से, उच्चतम न्यायालय ने तारीख 23.03.2020 से तारीख 04.06.2024 तक 7,54,443 सुनवाइयां की ।तमिलनाडु में, मद्रास उच्च न्यायालय ने 14,80,662 मामलों की सुनवाई की, जबकि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 3,92,067 मामलों की सुनवाई की ।सभी न्यायालय परिसरों, जिसके अंतर्गत तालुक स्तर के न्यायालय भी हैं, को एक-एक वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण उपलब्ध कराया गया है तथा 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण हेतु धनराशि जारी की गई है ।2506 वी.सी. केबिन स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा दी गई है ।3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वी.सी. सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं ।

(घ) : भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगला और कर्नाटक की सरकारों से मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाही में क्रमशः तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगला और कन्नड़ भाषा का प्रयोग करने की अनुमति देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।वर्ष 1965 में मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह मांगी गई थी और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 16.10.2012 के अपने अ.शा. पत्र द्वारा सूचित किया कि पूर्ण न्यायालय ने तारीख 11.10.2012 को आयोजित अपनी बैठक में, उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावों को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है ।

तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने जुलाई 2014 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में पहले के निर्णयों की समीक्षा करने और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति से अवगत कराने का अनुरोध किया ।मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 18.01.2016 के पत्र में बताया कि पूर्ण न्यायालय ने, व्यापक विचार-विमर्श के बाद, सर्वसम्मति से यह संकल्प किया कि प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ई-एससीआर निर्णयों के 18 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद में उच्च न्यायालयों के साथ सहयोग कर रहा है ।भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस टूल का उपयोग करके उच्चतम न्यायालय के रिपोर्टेबल निर्णयों (ई-एससीआर) के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद की निगरानी के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है ।सभी उच्च न्यायालयों में संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में इसी प्रकार की एक समिति गठित की गई है ।

उच्चतम न्यायालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति उच्च न्यायालयों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के साथ लगातार बैठकें कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग करके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करने के लिए निर्देश/सुझाव दे रही है ।उच्च न्यायालयों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति, राज्य में विधि सचिव, महाधिवक्ता, अनुवाद विभाग के प्रभारी सचिव से अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के रिपोर्टेबल निर्णयों (ई-एससीआर) के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निर्णयों का उस राज्य की स्थानीय/स्थानीय भाषा में अनुवाद करने के लिए अनुवादकों की नियुक्ति के लिए कदम उठाएं ।

तारीख 27.09.2024 तक, 36302 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है और 37661 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अन्य स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उच्च न्यायालयों की सहायता से ई-एससीआर पोर्टल पर अपलोड किया गया है (**उपाबंध-1**)।

जहां तक उच्च न्यायालय के निर्णयों का सवाल है, तारीख 27.09.2024 तक 09 उच्च न्यायालयों के 12629 निर्णयों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है और 18315 निर्णयों का अन्य स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और संबंधित उच्च न्यायालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ।उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का उच्च न्यायालयवार विवरण, जिनका अनुवाद किया गया है और जिन्हें जांच के बाद अपलोड किया गया है, **उपाबंध-2** में दिया गया है ।

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया है कि वे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों की अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं दोनों में उपलब्धता के बारे में व्यापक प्रचार करें, ताकि विभिन्न हितधारक, जैसे सरकारी विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, राज्य बार काउंसिल, जिला बार संघ, न्यायिक प्रशिक्षण अकादमियां और विधि महाविद्यालय इस सुविधा का निःशुल्क उपयोग कर सकें ।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1857 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का ब्यौरा, जिनका तारीख 27.09.2024 तक हिंदी भाषा में और अन्य स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और ई-एससीआर पोर्टल पर अपलोड किया गया है

ई-एससीआर पोर्टल पर उच्चतम न्यायालय के स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध निर्णय		
क्र. सं.	**स्थानीय भाषा**	**निर्णयों की संख्या**
1.	असमिया	268
2.	बंगला	989
3.	गारो	7
4.	गुजराती	2305
5.	हिंदी	36302
6.	कन्नड	1942
7.	कश्मीरी	1
8.	खासी	3
9.	कोंकणी	16
10.	मलयालम	2575
11.	मराठी	2479
12.	नेपाली	150
13.	ओड़िया	253
14.	पंजाबी	21183
15.	संथाली	31
16.	तमिल	2559
17.	तेलुगू	1579
18.	उर्दू	1321
योग		**73963**

उपाबंध-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1857 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

उच्च न्यायालय के निर्णयों का ब्यौरा, जिनका उच्च न्यायालयों द्वारा तारीख 27.09.2024 तक अनुवाद किया गया है और अपलोड किया गया है

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	स्थानीय भाषा	उच्च न्यायालय निर्णय
1.	इलाहाबाद	हिंदी	8338
2.	आंध्र प्रदेश	तेलुगू	811
3.	बम्बई	मराठी	1161
4.	कलकत्ता	बंगला	324
5.	छत्तीसगढ़	हिंदी	791
6.	दिल्ली	हिंदी	469
7.	गौहाटी	असमिया	65
8.	गुजरात	गुजराती	2253
9.	हिमाचल प्रदेश	हिंदी	877
10.	जम्मू-कश्मीर	उर्दू	9
11.	झारखण्ड	हिंदी	795
12.	कर्नाटक	कन्नड	745
13.	केरल	मलयालम	611
14.	मध्य प्रदेश	हिंदी	152
15.	मद्रास	तमिल	892
16.	मणिपुर	मणिपुरी	83
17.	मेघालय	गारो	6
		खासी	5
18.	उड़ीसा	ओड़िया	161
19.	पटना	हिंदी	123
20.	पंजाब और हरियाणा	पंजाबी	9365
21.	राजस्थान	हिंदी	616
22.	सिक्किम	नेपाली	3
23.	तेलंगाना	तेलुगु	811
24.	त्रिपुरा	बंगला	1010
25.	उत्तराखंड	हिंदी	468
योग			**30944**

****